

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2676]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2013/अग्रहायण 7, 1935

No. 2676]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2013/AGRAHAYANA 7, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2013

का.आ. 3523(अ).— भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि, निर्यात से पूर्व पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण का निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण का विषय बनाने के लिए बनाए गए कतिपय प्रस्तावों को निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम,1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड- (ii) के आदेश सं. 1379 तारीख 28 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

और, उन समस्त व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 28 मई, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और इन प्रस्तावों पर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, आयातकर्ता देशों की स्वास्थ्य संबंधी अनुबद्ध अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और उच्चतम क्वालिटी मानकों को बनाए रखना आवश्यक है जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विहित मानकों को सिम्मिलित करेंगे ;

5041 GI/2013

और, आयातकर्ता देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में उपरोक्त तुल्यता की शर्ते सुनिश्चित करने के लिए मानिटरिंग

हेतु प्रक्रिया के लिए उपबंध किए जाने चाहिए ;

और, पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के उत्पादन, भण्डारण और परिवहन में स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को अधिकथित किया जाना चाहिए;

और, प्रसंस्करणकर्ता का यह प्राथमिक दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण इस आदेश में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ;

और, केन्द्रीय सरकार के उक्त प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए गए है और उनको निर्यात निरीक्षण नियम,1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को अग्रेषित किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, की निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण), नियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद से परामर्श के पश्चात् यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा आवश्यक और समीचीन है:-

- 1. इस आदेश की अनुसूची में यथा अधिकथित पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण और उनके वर्गीकरण को अधिसूचित करती है, जो निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा;
- 2. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2013 के प्ररूप के अनुसार, निर्यात के लिए पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के प्रकार और वर्गीकरण विनिर्दिष्ट करती है;
- 3. इस आदेश में संलग्न अनुसूची में यथावर्णित विनिर्देशों को पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के लिए मानक विनिर्देश के रूप में मान्यता देती है,
- (क) आयातकर्ता देशों के राष्ट्रीय मानक या अंतर्राष्ट्रीय मानक; या
- (ख) आयातकर्ता देश में क्रेता व निर्यातकों के बीच करार तय हुए संविदात्मक विनिर्देश जो कि आयातकर्ता देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हों ;
- (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के किसी भी विनिर्देशों की अनुपस्थिति में , समय समय पर यथा संशोधित और अधिसूचित राष्ट्रीय मानक और विनिर्देश ; और
- (घ) खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित किसी भी विनिर्देश की अनुपस्थिति में उपरोक्त में भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा अधिकथित कमेटी द्वारा अधिकथित मानक ;
- 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण का निर्यात का तब तक प्रतिषिद्ध होगा जब तक िक वह लागू मानकों को पृष्ट न करते हों और उसके साथ इस प्रभाव का प्रमाणपत्र न हो कि वे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित हैं और मानीटर किए गए हैं।

- 5. इस आदेश में ,-
- (क) पोषण भोज्य से सूक्ष्म जीव या निर्मिती, पोषण सामग्री और पूर्व मिश्रण से भिन्न पदार्थ अभिप्रेत हैं जो एक या अधिक कृत्यों के अनुपालन करने के क्रम में पोषण या जल को साशय मिलाकर बनाए जाते हैं।
- (ख) पूर्व मिश्रण से ऐसे पोषण भोज्यों का मिश्रण या खाद्य सामग्री के साथ एक या अधिक पोषण भोज्यों का मिश्रण या जल को वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो पशुओं के लिए सीधे खिलाने के लिए आशयित नहीं है;
- (ग) प्रसंस्करण सहायक और पशुचिकित्सीय औषधीय उत्पाद (कोसिडियोस्टेटस और हिस्टोमोनोस्टेट से भिन्न) इसके अंतर्गत नहीं होगें।

अनुसूची (पैरा 1 देखें)

पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण और उसका वर्गीकरण निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण का उपखंड होगा।

- 1. स्थापन का अनुमोदनः— ऐसे स्थापन जो नीचे विवरणित में से एक या अधिक क्रियाकलाप करने के इच्छुक हों प्रत्येक ऐसे क्रियाकलाप के लिए अभिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा अर्थात् :—
 - (1) निम्न सूचीबद्ध विनिर्माण या पोषण के हैंडलिंग के लिएः

क्रम सं.	पोषण	टिप्पणियां
(ক)	एन्टीबायोटिक	समूह के सभी भोज्य
(ख)	कोसीडायास्टेट और अन्य औषधीय तत्व	समूह के सभी भोज्य
(ग)	उत्पाद प्रर्वतक	समूह के सभी भोज्य
(ঘ)	विटामिन, प्रतिविटामिन और सुपरिभाषित रसायनिक तत्व जो समान प्रभाव रखते हैं।	समूह के सभी भोज्य
(ड.)	अवशेष तत्वों	समूह के सभी भोज्य
(च)	एन्जाइमस	समूह के सभी भोज्य
(ন্ত)	सूक्ष्म जीव	समूह के सभी भोज्य
(ज)	कारोटेनोडस और जैन्थाफिल	समूह के सभी भोज्य
(झ)	तत्वों के उनके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के साथ प्रभाव	समूह के सभी भोज्य
(ण)	बैक्टीरिया समूह के खमीर,शैवाल, निम्न कवक से संबंधित प्रोटीन सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होती है	समूह के सभी भोज्य
(त)	किण्वन द्वारा अमीनों ऐसिड के सह उत्पादों का विनिर्माण	समूह के सभी भोज्य
(থ)	अमीनों ऐसिड और उसके लवण	समूह के सभी भोज्य
(द)	अमीनों ऐसिड के सहधर्मी हाईड्रोक्सी ऐसिड	समूह के सभी भोज्य

2 नीचे सूचीबद्ध भोज्य के प्रकार से तैयार पूर्व मिश्रण का विनिर्माण या हैंडलिंगः

क्रम सं.	पूर्व मिश्रण	टिप्पणियां
(क)	एन्टीबायोटिक	समूह के सभी भोज्य
(ख)	कोसीडायास्टेट और दूसरे औषधीय तत्व	समूह के सभी भोज्य
(ग)	उत्पादन प्रर्वतक	समूह के सभी भोज्य
(ঘ)	विटामिन, प्रतिविटामिन और सुपरिभाषित रसायनिक तत्व जो समान प्रभाव रखते हैं।	ए और डी
(ड.)	अवशेष तत्वों	कॉपर और सेलिनियम

- 2. स्थापन का रजिस्ट्रीकरणः— ऐसे स्थापन जो नीचे विवरणित में से एक या अधिक क्रियाकलाप करने के इच्छुक हों प्रत्येक ऐसे क्रियाकलाप के लिए अभिकरण से पहले रजिस्ट्रीकृत होगा अर्थात् : —
 - (i) भोज्य के विनिर्माण या हैंडलिंग जिसके लिए एक विहित अधिकतम स्तर रखा गया है, और जो पैरा 1 में शामिल नहीं है;
 - (ii) नीचे सूचीबद्ध भोज्य के प्रकार से तैयार पूर्व मिश्रण का व निर्माण हैंडलिंगः

क्रम सं.	पूर्व मिश्रण	टिप्पणियां
(ক)	विटामिन, प्रतिविटामिन और सुपरिभाषित रसायनिक तत्व जो समान प्रभाव रखते हैं।	समूह के सभी भोज्य विटामिन ए और डी के सिवाय
(ख)	अवशेष तत्वों	कॉपर और सेलिनियम के सिवाय समूह के सभी भोज्य
(ग)	कारोटेनोडस और जैन्थाफिल	समूह के सभी भोज्य
(ঘ)	एन्जाइम	समूह के सभी भोज्य
(ड.)	सूक्ष्म जीव	समूह के सभी भोज्य
(च)	तत्वों के उनके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के साथ प्रभाव	केवल अधिकतम नियत अंश वाले

[फा. सं. 3/59/2007- निर्यात निरीक्षण] ए. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 28th November, 2013

S.O. 3523(E).— Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Feed Additives and Premixtures to quality control and inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide Order No. 1379 dated 28th May, 2013 of Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce.

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette:

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 28th May, 2013;

And, whereas, no objections and suggestions were received from the public on the said proposal;

And, whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements of Importing countries and that would encompass the standards prescribed at National and International level;

And, whereas, provisions should, therefore, be made for a procedure for monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the Importing countries;

And, whereas, health requirements should be laid down for the production; storage and transport of Feed Additives and Premixtures;

And, whereas, it is the responsibility primarily of the processors to ensure that Feed Additives and Premixtures should meet the health requirements laid down in this order;

And, whereas, the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of the rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient to do so for the development of the export trade of India, hereby:-

- 1. notifies the feed additives and premixtures and its classification, as laid down in the schedule to this Order, which shall be subject to quality control and inspection prior to export;
- 2. specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Feed Additives and Premixtures (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2013;
- 3. recognises the specification as set in the Schedule as under to this order, as the standard specifications for feed additives and premixtures;
 - (a) national standards of the importing country or the international standards; or
 - (b) contractual specifications agreed to between the buyer in the importing country and the exporter provided the same is satisfying the health, safety and other requirements of the importing country;
 - (c) in absence of any specifications as mentioned in clause (a) and (b) above, the national standards specifications as notified and amended from time to time; and
 - (d) in absence of any specifications as mentioned in clause (a), (b) and (c) above, the standards laid down by a committee, constituted by the Export Inspection Council of India;

4. prohibits the export of feed additives and premixtures in the course of international trade unless it confirms to the standards applicable to it and is accompanied by a certificate stating to the effect that the processing establishment is registered or approved and monitored by the Export Inspection Agency established under sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

5. In this Order, —

- (a) "feed additives" means substances, microorganisms or preparation, other than feed material and premixtures, which are intentionally added to feed or water in order to perform, one or more functions:
- (b) "premixtures" means mixtures of feed additives or mixture of one or more feed additives with feed materials or water used as carriers, not intended for direct feeding to animals;
- (c) processing aids and veterinary medicinal products (other than coccidiostats and histomonostats) shall not be covered.

SCHEDULE

[See Paragraph 1]

Food Additives and Premixtures and its classification which shall be sub-section to quality control and inspection prior to its export.

- 1. **Approval of establishments.** An establishment desirous to exercise one or more of the activities stated below shall obtain prior approval from the Agency for each of its activities, namely:-
- (1) Manufacturing or handling of additives listed below:

Sl.No	Additives	Remarks
(a)	Antibiotics	all additives in the group
(b)	Coccidiostats and other medicinal substances	all additives in the group
(c)	Growth promoters	all additives in the group
(d)	Vitamins, provitamins and chemically well-defined substances having a similar effect	all additives in the group
(e)	Trace elements	all additives in the group
(f)	Enzymes	all additives in the group
(g)	Micro-organisms	all additives in the group
(h)	Carotenoids and xanthophylls	all additives in the group
(i)	Substances with antioxidant effects	only those with a fixed maximum content
(j)	Proteins obtained from microorganisms belonging to the group of bacteria, yeasts, algae, lower fungi	all additives in the group
(k)	Co-products of the manufacture of amino acids by fermentation	all additives in the group
(1)	Amino acids and their salts	all additives in the group
(m)	Hydroxy analogues of amino acids	all additives in the group

(2) Manufacturing or handling of premixtures prepared from type of additives listed below:

S.No	Premixtures	Remarks
(a)	Antibiotics	all additives in the group
(b)	Coccidiostats and other medicinal substances	all additives in the group
(c)	Growth promoters	all additives in the group
(d)	Vitamins, provitamins and chemically well-defined substances having a similar effect	A and D
(e)	Trace elements	Cu and Se

- 2. **Registration of establishments.** An establishment desirous to exercise one or more of the activities stated below shall obtain prior registered by the Agency for each activity, namely:-
 - (i) Manufacturing or handling of additives for which a prescribed maximum level is set and which are not included in paragraph 1;
 - (ii) Manufacturing or handling of premixtures prepared from type of additives listed below:

S.No.	Premixtures	Remarks
(a)	Vitamins, provitamins and chemically well-defined substances having a similar action	all additives in the group except for vitamins A and D
(b)	Trace elements	all additives in the group except for Cu and Se
(c)	Carotenoids and xanthophylls	all additives in the group
(d)	Enzymes	all additives in the group
(e)	Micro-organisms	all additives in the group
(f)	Substances with antioxidant effects	only those with a fixed maximum content

[F.No. 3/59/2007- Export Inspection]

A.K.TRIPATHY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2013

का.आ. 3524(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की उप-धारा (2) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः-

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोषक भोज्य और पूर्व मिश्रण निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2013 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।